कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 14()2013/एफसीए/प्रमुवसं/ /२५९

दिनांकः ३७-५-/6

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।

> विषय:—जनपद सीकर के अन्तर्गत स्मृति वन परियोजना के लिए ईको एनवारमेंट सेंटर के निर्माण हेतु 0.16 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 8 बी/राज/09/18/2013/एफसी/1338 दि. 27.1.16 एंव शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक एफ 1 (41) वन/2013 दिनांक 28.3.16 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.16 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एंव शून्य वृक्ष के पातन हेतु कुछ शर्तोधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की है। अतः निम्नांकित शर्तोंधीन सम्बन्धित विभाग/संस्था को वन भूमि के उपयोग की अनुमित दे दी जावे। साथ ही पालना प्रतिवेदन एवं मोनेटरिंग रिपोर्ट भिजवाई जाए:—

- भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्रों में अंकित समस्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावे।
- 3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रिजस्टर संधारित किया जावें ।

संलग्नः-उक्तानुसार ।

(सी. एस. रत्नासामी) अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए

कमांकः एफ 14()2013/एफसीए/प्रमुवसं/)२५०-५) दिनांकः २७- ५०- । । प्रतिलिपिः—निम्नांकित को भारत सरकार/राज्य सरकार के उक्त पत्रों की प्रतियां सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 1 (41) वन/2013 दिनांक 28.3.16 के कम में ।

2. उप वन संरक्षक, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ-साथ स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें:-

(i)मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।

संलग्नः-उक्तानुसार।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।

भारत सम्बन्ध

पर्वतरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मञ्जानय शतीय कार्योनयहरूका

Ministry of Environment, Forests & Climate Change Regional Office (Central Region)

per Francis

gescheit dere deute die Erreit des steiltes steiltes steiltes steiltes 226-21 Kendrich Brutten, ich Koer Berton II Kinner buckners-226624 Telefan 23260-96 232 (Sd. 2

18

पित्र सिंध स कीं, से अंदर, दिला, किंद्र 2015 है एक सी है 1538

दिसीकः 27.01.2018

रोपा में

शासन सर्विव (वन) सिविस सर्विवालय सनस्थान शासन वायपंच ।

ंदिक्य : जनवर तीकर के कन्तमत स्मृति वन सीकर् परियोजना के लिए इको एनवायरमेंट शेंटर के निर्माण हेतु o. क के नारमूल के असम्बर्धन मन्दर्धन

सन्दर्भः अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षकः, जयपुर, राजस्थान का पञ्जोक - एफ१४()२०१३/वसु/प्रभुवसं/८८३१, दिनाकः २४.११.२०१४ एवं पत्रांक - एफ१४()२०१३/एफ०री०ए०/प्रमुवस/२१५, दिनांकः २२.०१.२०१०

hartet.

्रीवर्षकः विषय पर शासन् राशिट संजस्थान शासन् कः प्रश्नोकः प्राचनार १८ १६५५,तन् १८१५ विराकः १८०७ २०१५ कः अध्योकन वर्षे जिस्तकः प्रास् विषयावितः प्रस्ताव पर केन्द्र सम्बन्ध से वन [संस्थण] आंधिनियम् १९८० की सासा्र) कः अध्ये रतीकांने मोगा गक्षेत्र श्रान

प्रश्निमत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक एत्र दिनांक 24 07.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्वानिक स्टीकृति प्रयान की गयो थी जिसको अनुपालना अति० प्रधान मुख्य वन सरक्षक एवं नोडल अधिकारी जयपुर, राजस्थान के उपराक्त रान्दिमित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विवासीपरान्त मुझे आपको यह स्थित करने का निर्देश चुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद सीकर के अन्तर्गत स्मृति वन सीकर परियोजना के लिए इका एनवायसोट साटर के निर्माण नेतु 0.16 ह0 बनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं श्रुन्य व्यक्ते के प्रानन की विधिवत् स्टाकृत विकास हो। के परवाद करने एक में स्थान

- अन्यक्त के किलिए एक्टिस ने चौतु परिवर्तन नक्ति क्रिस
- 2 प्रयोक्त अधिकरण के व्यय पर धन विभाग द्वारा 100 पृक्षी के बुहतरोपण एवं 16 वर्गों उक्त रखा रखाय विचा व्ययम १९७८ १७८९ १७८९ वर्गा क्षीकृति के जारी उन्ने के 1 वर्ष के १८१४ करते एउट
- ड कमर रहता बर्धमान मुख्य की दल में वसालाश होती है हो प्रमीवना क्रिमिकरण प्राच एम् में भी वी बरी हुई दन की क्रिमिवन सोश जन्म करनो तामी -
- 4 परिष्यं जन्म के निर्माण र रख्न रखाब के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पवियों एंच जीव जन्तुओं का किसी प्रकट का छोट नहीं पर्धुवाधी जाएगी।
- प्रशासनीत कर अभि कः उपयोग् किसी भी अन्य प्रयोक्तन की लिए नहीं किया आरोग।
- 8 प्रबोक्त अभिकरण द्वारा निवाण कार्य के चौरान स्थल पर कार्यरण मनावृशे ८२दाम का रहाई गैरा ८कि.सेटिन तेल की आधुटि को जागंदी, साबि निकटक्ती बनों के क्षति व छ।

- 7. प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों / रहाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंग्प नहीं लगाया जायेगा।
- 8 प्रसाधित वन्युक्ति क व्यक्तिका आसा पारा की कायुमि से ∕पर निर्माण कार्य के दौरान गिट्टी ∕प्रत्थर काट्ने एवं भरने का कार्य की किया नाएपा।
- 9 प्रस्टावित वन अन्न का रोमा रेतमा द्वारा सीमाकन प्रयावता अभिकरण के ब्यस पर किया जाएगा। यह सीमाकन अफीट अर्थ आर०री०री० पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्यक पीलर पर कमांक टी०ली०पि७एस० निवेशाक Backward and Forward Bearing एवं अपने निकल्ली पीलर स वृत्री दशांशी जाएगी। यह अर्थ प्रयावता अभिकरण को विधित्त स्वीकृति जारी द्वान क तीन माह का भीन्य पूर्व करना द्वारा एवं इसकी रहनन इस कार्यालय का भी ती जाएगी।
- 10. प्रयोक्ता अभिकरण एवं सन्धा रारकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू राणी निधम कानून तथा दिशा निर्देशों का पॉलन करेगी।
- 11. प्रस्ताव म निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजानक अनुपालन होने की - रिधाते में केन्द्र सरकार द्वारा स्तीकृति को निरस्त करने का अधिकार स्रकीत है।

(अगित गिश्र) उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् :-

1. अतिरिका वनम्हानिवंशक एक्सी , प्रयावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयः इन्वरः प्रयावरण महन् जारवाम रोढः नथी दिल्ली ११००३

2 निवंशक आर0ओं०एव०क्वू०, पर्योवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मञ्जलय, इन्दिरा पर्योवरण भवन, जोरवाम रोड नयी विल्ली 110003.

त या ल गरहाक हीकर राजस्थान।

व श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभागत, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनल्ड को वेयसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेपित।

इ. उचेश पनावनी व

(अगित भिश्र)

एप वन संरक्षक (के०)

No.F.1(41) Eorest/2013

DEPARTMENT OF KAJASTHAN

Jaipur, dated: 2 8 MAR 2016

ORDER

Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GOI Regional Office, Lucknow vide letter No.F.No.8B/Raj/09/18/2013/FC/1338 dated 27.01.2016 has conveyed its approval for diversion of 0.16 ha. forest land, without felling any trees, for construction of Eco Environment Centre at Smriti Van on the Protected Forest Land of "Devipura Beed" of Sikar forest division in the state of Rajasthan. In pursuance of the above clearance by Govt. of India, State Government hereby accords approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act 1980 with the following conditions:-

- 1. The conditions imposed by MoEF&CC, GoI in their forest clearance dated 27.01.2016 will be complied with by all concerned.
- 2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed on the website by State Forest Department as well as by MoEF&CC, GoI.
- 3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers, one in vernacular language and the other in English language, so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forestry purposes.
- 4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn have to display the same for 30 days from the date of receipt.
- 5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

APRIFE FCA)

50/

(Yogendra Kumar Dak) Secretary, Forests

29/3/16

Copy to the following for necessary compliance:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.

2. The Addl. PCCF (Central), Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhawan, Lucknow.

- 3. The Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi 110 003 with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF&CC website.
- 4. The Additional Director General(FC), Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt.of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi 110 003
- 5. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
- 6. Chief Conservator of Forests, IT, Aranya Bhawan, Jaipur to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
- 7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Jaipur.
- 8. Dy. Conservator of Forests, Sikar.
- 9. Order file.



390